


:: आदेश ::

वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.1(12)एफडी (रूल्स)/2005 दिनांक 06.02.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिवसों के उपार्जित अवकाश समर्पित करने के फलस्वरूप समर्पित अवकाश के समतुल्य दिवसों के अवकाश वेतन के नकद भुगतान करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए जारी की जाती है -

क्र. सं.	प्राचार्य एवं महाविद्यालय का नाम	समर्पित उपार्जित अवकाश
1.	श्री शिवपाल वर्मा, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, नीमकाथाना	15 दिवस
2.	श्री राजेश शुक्ला, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, गोविन्दगढ़	15 दिवस
3.	श्री भैरूलाल बलाई, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौडगढ़	15 दिवस
4.	श्री अमर सिंह मीणा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौनसिटी	15 दिवस
5.	श्री घनश्याम लाल, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बारा	15 दिवस
6.	श्री विनय कुमार शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सोजतसिटी	15 दिवस
7.	श्री देदाराम, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़	15 दिवस
8.	श्री एम0 एल0 चौहान, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली	15 दिवस
9.	श्री आर0 के0 वर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़	15 दिवस
10.	श्री हरिसिंह मीणा, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा	15 दिवस
11.	श्री टीकम चन्द लोया, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा	15 दिवस


प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित प्राचार्यों की सेवा पुस्तिका में उक्त दिवसों का उपार्जित अवकाश कम कर दिया गया है।


निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
2. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
3. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर